

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर



अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 29/01/2018

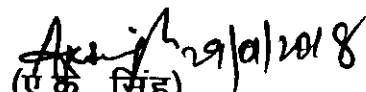
क्रमांक 13/F-2017-04-04005/वित्त/वि.आ.प्र.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्र. 3 सन् 1994) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 02/एल 8-9 (पार्ट) 2016/वित्त/विआप्र, दिनांक 20 जनवरी, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्, -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, -

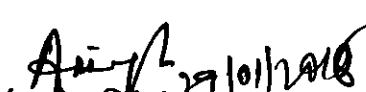
पैरा 2 तथा 4 में, अंक तथा शब्द "31 जनवरी, 2017" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "31 मई, 2018" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(ए.क. सिंह)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग

क्र. 14/F-2017-04-04005/2018/वित्त/वि.आ.प्र.- नया रायपुर, दिनांक 29/01/2018
भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड-3 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13/F-2017-04-04005/वित्त/वि.आ.प्र, दिनांक 29.01.2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(ए.क. सिंह)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANCE DEPARTMENT
MANTRALAYA, MAHANADI BHAWAN, NAYA RAIPUR

NOTIFICATION

Naya Raipur, Dated 29th January, 2018

No.13/F-2017-04-04005/2018/Fin./FCC- In exercise of the powers conferred by Articles 243-I of the Constitution of India read with Section 3 of the Chhattisgarh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No.3 of 1994), the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. 02/L 8-9 (Part)2016/Fin./FCC, dated 20th January, 2016, namely:-

AMENDMENT

In the said notification,-

In para 2 and 4, for the figures and word "31st January, 2017", the figures and word "31st May, 2018" shall be substituted.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,


(A.K. SINGH)

Joint Secretary
Finance Department

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. श्री चन्द्रशेखर साहू, अध्यक्ष, तृतीय राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़ ।
6. श्री नरेश चंद्र गुप्ता, सदस्य, तृतीय राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़ ।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग/लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग/राज्य सूचना आयोग, रायपुर
8. समस्त निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्रीगण, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
9. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
10. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
11. सचिव वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नया रायपुर
12. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
14. राज्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
16. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
17. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
18. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर/सरगुजा एवं बस्तर, छत्तीसगढ़
19. समस्त कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती/जिला कोषालय, छत्तीसगढ़
20. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
21. संचालक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रायपुर
22. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
23. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नया रायपुर
24. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु.
.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित


(मोतीराम खुंटे) 29/1/18
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग